

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001


Sub: **Regarding submission of compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam, in compliance of to order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P. The compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action. List the matter for further consideration on dt. 16.02.2024

Encl. As Above

Yours faithfully


(Akshat Verma)

**Municipal Commissioner
Varanasi**

To,

The Registrar
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi-110001

Sub: **Regarding submission of compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam, in compliance of to order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 04.12.2023 in Original Application No. 483/2022 in the matter of Ashish Kumar & Ors. Versus State of U.P. The compliance report on behalf of Varanasi Nagar Nigam is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action. List the matter for further consideration on dt. 16.02.2024

Encl. As Above

Yours faithfully



(Akshat Verma)

**Municipal Commissioner
Varanasi**

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में 5 योजित ओ०ए० संख्या 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में नगर निगम, वाराणसी की आख्या।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्र व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 04.12.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:—

1. In this original application, registered on the basis of the letter petition, grievance has been raised that flood plain area of rivers Varuna and Assi, tributaries of river Ganga, have not been demarcated and consequently, influential people are encroaching upon their flood plain area. There is also a complaint about illegal discharged of untreated sewage in both the rivers.

2. Having regard to the issue which has been raised in the original application, we deem it proper to implead following as respondent:-

- i. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board;
- ii. ACS/PS, Urban Development Department, State of UP;
- iii. Commissioner, Municipal Corporation, Varanasi;
- iv. District Magistrate, Varanasi.

3. Let notice be served upon the above respondents who on receipt of the notice will ascertain the correct position and will file their report/response on or before the next date of hearing.

4. List for further consideration on 16.02.2024."

उपरोक्त आदेश के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नवत् है:—

सीवेज मैनेजमेंट

अस्सी नदी

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), वाराणसी द्वारा दी गयी संयुक्त आख्यानुसार असि नदी में वर्तमान में पूर्णतया घरेलू सीवेज निस्तारित होता है। वर्तमान में कुल डिस्चार्ज लगभग 78 एम०एल०डी० है। 50 एम०एल०डी० सीवेज को डायवर्ट कर रमना स्थित 50 एम०एल०डी० एस०टी०पी० में शोधित किया जा रहा है। शेष लगभग 28 एम०एल०डी० के शुद्धीकरण हेतु भगवानपुर में 55 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० के निर्माण की स्वीकृति एन०एम०सी०जी०,

नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत मेसर्स इन्वायरो इन्फ्रा प्रा० लि०, नई दिल्ली को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत कर दिया गया है एवं कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अन्तरिम ट्रीटमेंट हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा सीवेज का बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है एवं एन०एम०सी०जी० नई दिल्ली द्वारा भी अतिरिक्त डिस्चार्ज हेतु "एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस" द्वारा शोधन करने की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है, कार्य प्रगति पर है, तथा दिनांक 25 फरवरी, 2024 तक क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है। उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), वाराणसी की संयुक्त आख्या संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

वरुणा नदी

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण एवं नगरीय), वाराणसी द्वारा दी गयी संयुक्त आख्यानुसार वरुणा नदी में नगर निगम सीमा में कुल 14 नग नाले निस्तारित हो रहे थे। नगर निगम सीमा के विस्तार के उपरांत 01 नग बड़ा नाला (दुर्गा ड्रेन), जिसका कुल डिस्चार्ज लगभग 37 एम०एल०डी० है, नगर निगम सीमा में सम्मिलित हो गया है। इस प्रकार कुल 15 नग नाले वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। उपरोक्त नालों में से 13 नग नाले बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा इन्टरसेप्टर सीवर के माध्यम से टैपड किये गये हैं एवं अवशेष 02 नग नाले यथा नरोखर नाला आंशिक टैपड है एवं दुर्गा नाला अनटैपड है। दुर्गा नाला के शोधन हेतु 55 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के निर्माण हेतु डी०पी०आर० माह अप्रैल, 2022 में तैयारकर एन०एम०सी०जी०, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। नालों का विस्तृत विवरण संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०एन० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा दिनांक 01.07.2023 को सम्बंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी थी। बैठक में अवगत कराया गया कि वरुणा नदी के किनारे नालों की टैपिंग का कार्य सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी की कार्यदायी संस्था यू०पी० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० द्वारा किया गया है तथा लगभग सभी नालों के माध्यम से पार्शियल अनट्रीटेड सीवेज वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं। वरुणा नदी के किनारे स्थित नालों को पूरी तरह से टैपड नहीं होने के कारण वरुणा नदी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा वरुणा नदी के किनारे करायी गयी टैपिंग का कार्य जन उपयोगी सिद्धकर नहीं हो रही है। सिंचाई विभाग एवं उ० प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० (यू०पी०पी०सी०एल०) द्वारा नाले की सफाई न होने के कारण वाराणसी नगर निगम को हैण्ड ओवर

रि/सू

रि/सू

रि/सू

हीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रकरण का निस्तारण शासन स्तर से कराये जाने और डिजाईन फाल्ट व वाराणसी नगर निगम को हैण्ड ओवर करने के सम्बंध में जाँच हेतु संस्तुति सहित आख्या मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, उ० प्र० शासन, लखनऊ को जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या 1390/प्र०नि०बो०/2023-24, दिनांक 04 जुलाई, 2023 द्वार प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी, वाराणसी के पत्र दिनांक 04.07.2023 की प्रति **संलग्नक-3** के रूप में संलग्न है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी महोदय द्वारा मा० एन०जी०टी०के आदेश संख्या ओ०एन० 483/2022 के अनुपालन के क्रम में कार्यालय पत्रांक-1/2220/केन्द्रीय/2023-24, दिनांक-03.01.2024 (**संलग्नक-4**) के माध्यम से अस्सी नदी एवं वरुणा नदी के सीमा चिन्हांकन, बाढ़ क्षेत्र जोन का चिन्हांकन आदि कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता बंधी प्रखण्ड सिचाई विभाग तथा नालो के डिस्चार्ज एवं उसके ट्रीटमेंट के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम (शहरी) को नोडल अधिकारी नामित करते हुए दिनांक-16.01.2024 तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। दिनांक-16.01.2024 तक अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा में पुनः अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय पत्रांक-639/अ०न०आ०-आर/2023-24, दिनांक-29.01.2024 को अधिशासी अभियन्ता बंधी प्रखण्ड सिचाई विभाग एवं पत्रांक-640/अ०न०आ०-आर/2023-24, दिनांक-29.01.2024 को अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (शहरी) को पत्र प्रेषित किया गया। क्रमशः **संलग्नक-5 व 6** के रूप में है। तत्सम्बंध में उक्त दोनों विभाग से आख्या अप्राप्त है।

सीमांकन एवं अतिक्रमण (Demarcation and Encroachment)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०एन० नं० 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ०ए० नं० 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 तथा ओ०ए० नं० 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश संख्या 2179/एन०जी०टी० ओ०ए० नं० 367/2022/2023-24, दिनांक 08.02.2024 के द्वारा गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी के अवैध अतिक्रमण का सीमांकन किये जाने एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किया गया है:-

7/1
see

7/1

7/1

उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असि नदी एवं वरूणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।

2. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
3. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा फ्लड प्लेन जोन का पिलर डिमार्केशन किया जाये।

जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश संख्या 2179/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0 367/2022/2023-24, दिनांक 08.02.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी के नेतृत्व में टीम द्वारा असि नदी/नाला के किनारे ग्राम-कंचनपुर, चितईपुर, कर्माजीतपुर, करौंदी, सरायनन्दन, भदौनी एवं नगवाँ क्षेत्र में हुए अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण कर चिन्हांकन किया गया, जिसकी आख्या संलग्नक-7 के रूप में संलग्न है।

जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु सं0-2 में दिये गये निर्देश के क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी की टीम द्वारा चिन्हांकित किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नगर निगम, वाराणसी द्वारा दिनांक 08.02.2024 को तोड़कर हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने से पूर्व एवं पश्चात् के फोटोग्राफ्स संलग्नक-8 के रूप में संलग्न है।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के अनुपालन में नगर निगम, वाराणसी की तरफ से रिसपांस रिपोर्ट मा0 अधिकरण के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


सचिव
जलकल विभाग, नगर निगम
वाराणसी


महाप्रबन्धक
जलकल विभाग, नगर निगम
वाराणसी


SNACR)
अमित शुक्ला
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी


E.E.I,UPJN


राजीव कुमार राय
अवर नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी


नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी





9
**JALKAL VIBHAG, NAGAR NIGAM,
VARANASI**

Assi/Nagwa drain-

Present flow in this drain is around 78 MLD. 50 MLD is being treated at Ramna 50 MLD STP and balance 28 MLD goes down into River Ganga. To arrest this sewage, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur is approved by National Mission For Clean Ganga (NMCG). Bidding process is completed, letter of award has been issued and agreement shall be signed by February 10, 2024 and work will start from March 01, 2024 and will take 02 years time to complete as per reported by Mr Ashish Kumar Singh, Project Manager, Ganga pollution prevention Unit U.P. Jal Nigam (Rural). For interim measure, bioremediation process is being carried out by Jalkal Vibhag, Nagar Nigam, Varanasi at three points (Saket Nagar, Sankat Mochan Durgakund and Ravidas Park) along the drain.

Nakkha drain-

Interception and diversion of this drain is proposed under above mentioned 55 MLD STP at Bhagwanpur as per reported by Mr Ashish Kumar Singh, Project Manager Ganga pollution prevention Unit U.P. Jal Nigam (Rural). For interim measure, bioremediation process is being carried out at two points along the drain by Jalkal Vibhag, Nagar Nigam, Varanasi.

Samne Ghat drain-

This drain is tapped and diverted through assi interceptor sewer pipe line. Because of being partially choked sewer pipe line overflow is occurring and flowing down into River Ganga. For redressal of this issue disilting work of Assi interceptor sewer pipe line is ongoing and soon it will be completed. For interim measure bioremediation process is being carried out at two points along the flow (going down to River Ganga) by jalkal vibhag nagar Nigam Varanasi.

(Handwritten signature)
(O.P. Singh)
Secretary

**Jalkal Vibhag, Nagar Nigam
Varanasi**

(Handwritten signature)
(Vijay Narayan Maurya)
General Manager
**Jalkal Vibhag, Nagar Nigam
Varanasi**

Assi/Nagwa drain -

Present flow in this drain is around 78 MLD. 50 MLD is being treated at Ramna 50 MLD STP and balance 28 MLD goes down into River Ganga. To arrest this sewage, construction of 55 MLD STP at Bhagwanpur is approved by National Mission For Clean Ganga (NMCG). Bidding process is complete, letter of award has been issued and agreement shall be signed by February 10, 2024 and work will start from March 01, 2024 and will take 02 years time to complete. However, for interim measure, bioremediation is being carried out by Varanasi Nagar Nigam. In addition to this, NMCG has also approved project for treatment this additional flow through Advance Oxidation Process till the work of construction of STP is completed. work is in progress and the plant shall become operational by February, 2024.

Nakkha drain-

Interception and diversion of this drain is proposed under above mentioned 55 MLD STP at Bhagwanpur. For interim measure bioremediation is being carried out by Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi.

Samne Ghat drain-


This drain is tapped and diverted through Assi interceptor sewer pipe line. Overflow is occurring due to choking of this sewer line. Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi has been informed for cleaning of this pipe line (letter annexed). Jal Kal Department, Nagar Nigam, Varanasi is conducted bioremediation of this drain till desilting of the pipe line is completed.

07/02/2024
(Ashish Kumar Singh)
Project Manager
Ganga Pollution Prevention Unit,
U.P. Jal Nigam (Rural)

वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे नालों का विवरण

S.N.	Name of Drains	Flow (MLD) In Yr 2017	Tapped (Y/N)	Name of STP with installed capacity	Remarks
1	Phulwariya Drain	7.60	Y	140 MLD STP Dinapur/ Chauka Ghat MPS	tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD STP at Dinapur. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
2	Sadar Bazar Drain	2.00	Y		
3	Raja Bazar Drain	0.10	Y		
4	TeliyaBag Drain	18.00	Y		
5	Nakkhighat Drain	0.10	Y		
6	Narokhar Drain	7.50	Partially Tapped	120 MLD STP Goithaha	For interim measure, tapping has been done by Irrigation Department and diverted to 140 MLD at Dinapur, however the flow will ultimately reach at Goithaha 120 MLD STP , once entire Trans-Varuna is covered by sewerage network. Over flow of tapped drain is discharging into River Varuna which is required to completely tapped by concern department.
7	Nai Basti Drain	3.00	Y		
8	Sarang Talab Drain	1.50	Y	140 MLD STP Dinapur / 120 MLD STP Goithaha	
9	Central Jail Drain	6.50	Y		
10	Orderly Bazar Drain	7.00	Y		
11	Chamrautha Drain	1.50	N		
12	Khajuri Colony Drain	1.50	Y		
13	Banaras Drain No.-5	1.00	Y		
14	Hukulganj Drain	2.50	Y		
15	Durga Drain	37.00	N		DPR for interception, diversion and construction of STP of capacity 55 MLD for treatment of Durga drain has been sent to National Mission For Clean Ganga (NMCG) in April, 2022 for approval. Approval is awaited.


Executive Engineer,
Construction Division-1,
U. P. Jal Nigam (Urban)
Varanasi


परियोजना प्रबन्धक
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई
उ०प्र० जल निगम (आजीन), वाराणसी

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

पत्रांक : 1390 / प्र०नि०बो० / 2023 24

दिनांक 04 जुलाई, 2023

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अनुपालन में दिनांक 01.07.2023 को समीक्षा बैठक की गयी। उक्त बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा संज्ञान में लाया गया कि वरुणा नदी के दोनों किनारे कुल 13 नाले हैं। उक्त नालों की टैपिंग का कार्य सिंचाई विभाग, बंधी प्रखण्ड, वाराणसी की कार्यदायी संस्था यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा किया गया है। लगभग सभी नालों के माध्यम से आंशिक अनट्रीटेड सीवेज वरुणा नदी में निस्तारित हो रहे हैं।

अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि वरुणा कारिडोर में निर्मित इन्टरसेप्टिंग बैम्बर में लगे हुए स्क्रीन में ठोस अपशिष्ट एकत्रित होने के कारण पूरी तरह से चोक है तथा सीवेज प्रवेश नहीं हो रहा है। कई इन्टरसेप्टिंग चैम्बर क्षतिग्रस्त हैं तथा मेन्टीनेंस नहीं हो रहा है। उक्त के कारण समय-समय पर घटनायें घटित हो रही हैं। दिनांक 22.02.2023 को हिदायत नगर, नक्खी घाट क्षेत्र में वरुणा कारिडोर के पास एक बच्ची की मृत्यु भी हुई थी। अधिशासी अभियन्ता, बंधी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि वरुणा नदी के आन्तरिक सेक्शन में सुधार एवं इसके दोनों किनारों पर सुदृढीकरण तथा सौन्दर्यीकरण की परियोजना तैयार की गयी थी, जिसके अन्तर्गत वरुणा नदी के चैनलाईजेशन, दोनों किनारों को Geo-Textile एवं Soil stabilization करते हुए सुदृढीकरण एवं ग्रास टर्फिंग का कार्य करते हुए फुटपाथ बनाने, रेलिंग लगाने एवं लाइटिंग का कार्य सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त पक्के घाट बनाने का कार्य तथा दोनों किनारों के गर्द नालों को HDPE Lined पाईप द्वारा वरुणा रेगुलेटर के अपस्ट्रीम में पम्पिंग स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य भी सम्मिलित है। वाराणसी शहर में वरुणा नदी में स्वच्छ जल उपलब्ध कराए जाने हेतु ज्ञानपुर पम्प कैनल से ज्ञानपुर

for

मुख्य नहर पर निर्मित कनेहरी स्केप के माध्यम से मोरवा ड्रेन के द्वारा वरुणा नदी में डाले जाने का कार्य भी सम्मिलित है। उक्त कार्य के लिये वर्ष 2016-17 में ₹0 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई थी। परियोजना के कार्यों को कराने के लिये सिंचाई विभाग एवं यू0पी0पी0सी0एल0 के साथ एम0ओ0यू0 सं0 01/एस.ई./2016-17, दिनांक 11.05.2016 किया गया था। परियोजना के प्रारम्भ होने की तिथि 01.07.2016 एवं परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 31.07.2021 थी। कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) यूनिट-3 वाराणसी द्वारा परियोजना के अन्तर्गत प्राविधानित सभी कार्य निर्धारित तिथि 31.07.2021 तक पूर्ण कर लिये गये थे।

अधिकांश अभियंता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आर्टिम के रूप में स्वीकृत सीवेज पाइप लाइन को सीवेज पम्पिंग स्टेशन से जोड़ने का कार्य भी हो चुका है, जिसके अन्तर्गत वरुणा नदी में मिलने वाले 13 अदद नालों को टैप कर चौकाघाट सीवेज पम्पिंग स्टेशन में मिलाया गया है, जिसके द्वारा सीवेज पम्प कर दीनापुर एस0टी0पी0 में शोधन हेतु भेजा जाता है। वरुणा नदी के चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास परियोजना के अन्तर्गत कराया गये कार्यों को नगर निगम वाराणसी को उ0 प्र0 के शासन के शासनादेश सं0 297/2021/2345/21-27-सि0-4-49 (डब्ल्यू) परियोजना/2016, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा नगर निगम, वाराणसी को हस्तान्तरित किया जाना था किन्तु अभी तक नगर निगम को हस्तान्तरण नहीं किया गया है। कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा निर्माण इकाई की परियोजना का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड को दिनांक 30.03.2022 को किया गया है।

अधिकांश अभियंता, सिंचाई विभाग, बन्धी प्रखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि नालों की टैपिंग के अनुरक्षण हेतु विभागीय धनराशि की मांग की गयी है। धनराशि अवमुक्त होने पर मेन्टिनेन्स का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। तदोपरान्त नगर निगम को हैण्डओवर कर दिया जायेगा। समीक्षा के दौरान अधिकांश अभियंता, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि नालों के टैपिंग के सम्बन्ध में की गई डिजाइन उचित प्रतीत नहीं होता है, जिसके कारण नालों के टैपिंग में कमियों के कारण अशुद्धीकृत सीवेज की आंशिक मात्रा वरुणा नदी में निस्तारित हो रहा है तथा सीवेज मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की यह स्थिति विगत कई महीनों से बनी है। नालों की टैपिंग डिजाइन के अप्रूवल के सम्बन्ध में यू0पी0पी0सी0एल0 के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि डिजाइन का अप्रूवल सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। तत्सम्बन्ध में अधिकांश अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डिजाइन आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी से वैट किया गया है। अवगत कराना है कि वरुणा नदी के बहाली एवं कायाकल्प का कार्य मा0 एन0जी0टी0 के आदेश से आच्छादित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 नं0 128/2021 (सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स) में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अन्तर्गत वरुणा नदी एवं अस्सी नदी के बहाली एवं कायाकल्प का कार्य किया जाना है। वरुणा नदी के किनारे स्थित नालों को पूरी तरह से टैप नहीं होने के कारण वरुणा नदी

की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वरुणा नदी के किनारे कराई गयी नालों की टैपिंग कार्य जनोपयोगी सिद्धकर नहीं हो रहा है।

सिंचाई विभाग एवं उ० प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि० (यू०पी०पी०सी०एल०) द्वारा नाले की सफाई कर कियाशील (functional) कराना था। नाला की सफाई न होने के कारण वाराणसी नगर निगम को हैण्डओवर नहीं हो पा रहा है। सफाई हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है, उसके सम्बंध में दोनों विभागों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिजाइन फाल्ट के सम्बंध में भी स्पष्ट आख्या नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण शासन स्तर से ही निस्तारण किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस प्रकरण का निस्तारण शासन स्तर से कराया जाय और डिजाइन फाल्ट एवं वाराणसी नगर निगम को हैण्डओवर करने के सम्बंध में जॉब हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु संस्तुति राहित आख्या सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(एस० राजलिंगम)
जिलाधिकारी,
वाराणसी।

पृ०सं० एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि०, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता (नगरीय/ग्राणीण), उ०प्र० जल निगम, वाराणसी।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

कार्यालय-नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम, वाराणसी।

पत्रांक I/2220/किन्नीत्र/23-24
न0आ0-सस0टी0/2023-24 दिनांक-जनवरी, 03, 2024

(आदेश)

ओरिजिनल अप्लीकेशन नं0 483/2022, श्री आशीष कुमार मिश्रा एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू0पी0, अप्लीकेशन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अप्लीकेशन संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में जिलाधिकारी महोदय एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश में सीवेज, ठोस अपशिष्ट के निस्तारण, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण के अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण, वरूणा नदी के नालो के टेपिंग, बाढ़ जोन क्षेत्र का निर्धारण एवं अतिक्रमण, बायोमेडिकल अपशिष्ट एवं खनन के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है, जिसमें विभिन्न विभाग यथा जिला प्रशासन, वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सिंचाई विभाग, जलकल, जल निगम, विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं खनन विभाग द्वारा आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है।

प्रकरण के अतिमहत्ता के दृष्टिगत जांच कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी। (अध्यक्ष)
2. सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी।
4. प्रभारी अधिकारी (राजस्व), नगर निगम, वाराणसी।
5. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी।
6. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम।(सचिव)
7. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जलनिगम (शहरी), भगवानपुर, वाराणसी।
8. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।

प्रकरण में राजस्व से जुड़े विन्दुओं पर जिसमें नदी सीमा काचिन्हांकन, बाढ़ क्षेत्र जोन का चिन्हांकन सम्मिलित है। उक्त कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, तथा नालो के डिस्चार्ज एवं उसके ट्रीटमेंट के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0जलनिगम (शहरी) नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उपरोक्त समिति रिपोर्ट दिनांक-16.01.2024 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(अक्षय वर्मा),
नगर आयुक्त।
०९

I/2220/केन्द्रीय/23-24 2

पत्रांक न0आ0-एस0टी0/2023-24 दिनांक-जनवरी, 03, 2024

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने हेतु सानुरोध प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को अपने स्तर से निर्देशित किये जाने हेतु सानुरोध प्रेषित।
4. सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी (राजस्व) नगर निगम, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि सभी संबंधित से समन्वय बनाकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
7. अपर नगर आयुक्त (आर), नगर निगम, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण में प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. उपजिलाधिकारी सदर, वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये प्रकरण में समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
10. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0जलनिगम (नगरीय), भगवानपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अधिशासी अभियन्ता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अक्षत वर्मा),

नगर आयुक्त।

d/c

1031CS
28211C
4-1-2024
2-2024

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी

पत्रांक - 639/अन०अन०(R)/2023-24

दिनांक- 29-1-2024

अधिसासी अभियन्ता

बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग,
वाराणसी।

कार्यालय आदेश संख्या- 1/2220/केन्द्रीय/23-24 दिनांक- 03 जनवरी, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें ओरिजिनल अप्लीकेशन नं०-483/2022, श्री आशीष कुमार मिश्रा एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू०पी०, अप्लीकेशन संख्या-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अप्लीकेशन संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के क्रम में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के क्रम में आपको नदी सीमा का चिन्हांकन, बाढ़ क्षेत्र जोन का चिन्हांकन के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने एवं उक्त सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक-16.01.2024 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु अभी तक सम्बन्धित प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नदी सीमा का चिन्हांकन, बाढ़ क्षेत्र जोन का चिन्हांकन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अक्षत वर्मा)

o/c नगर आयुक्त

पू.सं...- 639/अन०अन०(R)/2023-24

दिनांक- 29-01-2024

प्रतिलिपि-1-जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अधीक्षण अभियन्ता (नगरीय/ग्रामीण), उ०प्र०जल निगम, वाराणसी।

3-अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।

4-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

(अक्षत वर्मा)

o/c नगर आयुक्त

नगर निगम, वाराणसी

65349
28211
301-2024

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी

पत्रांक - 640/अन-नगर/आन(र)/2023-24

दिनांक- 29-1-2024

अधिसासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी)
निर्माण खण्ड (प्रथम), भगवानपुर,
वाराणसी।

कार्यालय आदेश संख्या- 1/2220/केन्द्रीय/23-24 दिनांक- 03 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें ओरिजिनल अप्लीकेशन नं0-483/2022, श्री आशीष कुमार मिश्रा एण्ड अदर्स बनाम स्टेट आफ यू0पी0, अप्लीकेशन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अप्लीकेशन संख्या-593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के क्रम में आपको नालो के डिस्चार्ज एवं उसके ट्रीटमेन्ट के सम्बन्ध में आपको नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने एवं उक्त सम्बन्ध में रिपोर्ट दिनांक-16.01.2024 तक प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु अभी तक सम्बन्धित प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नालो के डिस्चार्ज एवं उसके ट्रीटमेन्ट के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अक्षत वर्मा)

01/ नगर आयुक्त

पृ.सं...- 640/अन-नगर/आन(र)/2023-24

दिनांक- 29-1-2024

प्रतिलिपि-1-जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-अधीक्षण अभियन्ता (नगरीय/ग्रामीण), उ0प्र0जल निगम, वाराणसी।

3-अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।

4-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।

(अक्षत वर्मा)

01/ नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

05/2/24
82/11
26-1-2024

कार्यालय-जिलाधिकारी, वाराणसी

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0एन0 नं0 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ0ए0 नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 तथा ओ0ए0 नं0 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 03.02.2024 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता सम्बंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या 1342/ओ0ए0 नं0 128/2021/2022-23, दिनांक 20.02.2023 के द्वारा निम्नलिखित टीम का गठन किया गया था :-

1. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा नामित अधिकारी।
3. सम्बंधित उपजिलाधिकारी/क्षेत्रीय अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
4. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।

उपरोक्त नामित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वरुणा नदी एवं असि नदी पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही 01 माह के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की विस्तृत आख्या फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 नं0 128/2021 सौरभ तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 के अनुपालन में गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी पर किये गये अतिक्रमण का सर्वेक्षणकर 15 दिन के अन्दर चिन्हांकन कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी को निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाया गया कि मा0 एन0जी0टी0 में ओ0एन0 नं0 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022, 04.12.2023, ओ0ए0 नं0 483/2022 आशीष कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के सम्बंध में अगली सुनवाई दिनांक 16.02.2024 को नियत की गयी है तथा प्रश्नगत प्रकरण में असि नदी एवं वरुणा नदी पर हुए अतिक्रमण के सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बंध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गंगा नदी की सहायक नदियों यथा वरुणा नदी एवं असि नदी के अवैध अतिक्रमण का सीमांकन किये जाने एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असि नदी एवं वरुणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।
2. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
3. अधिशासी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी द्वारा फ्लड प्लेन जोन का पिलर डिग्राफेशन किया जाये।
4. उपरोक्त रागरत कार्यों की समीक्षा अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी द्वारा की जाये तथा सभी सम्बंधित विभागों से समन्वय कराते हुए कार्यों को सरासरी पूर्ण कराया जाये।
उक्त आदेश का सम्यक् कड़ाई से सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को 05 दिवस में प्रस्तुत की जाये। ध्यान दें कि उक्त

आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने तथा गा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने की
दशा में सम्बंधित विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी

पत्रांक :- 2179/N.G.T.O.A.No.367/2022/2023-24

दिनांक : 08-02-2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ।
2. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
4. अपर जिलाधिकारी (नगर), वाराणसी।
5. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी।
6. सम्बंधित अपर नगर मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
7. अधिशारी अभियंता, बन्धी प्रखण्ड, सिंचाई विभाग, वाराणसी।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी।


(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी, वाराणसी

ननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा गंगा नदी के सहायक नदियों यथा वरुणा एवं असी नदी पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु टीम का गठन किया गया था। जिलाधिकारी, वाराणसी के कार्यालय आदेश सं० 2179/एन.जी.टी.ओ.ए.नं० 367/2022/2023-24 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा नगर निगम से संबंधित निम्न आदेश दिये गये:-

1. उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा अपने नेतृत्व में असी नदी एवं वरुणा नदी के चिन्हांकन का कार्य कराते हुए अवैध अतिक्रमणों की सूची 03 दिवस के अन्दर नगर आयुक्त, वाराणसी नगर निगम को प्रस्तुत किया जाये।

उपरोक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी की टीम द्वारा असी नदी पर हुए अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण कर चिन्हांकन किया गया जिसका विवरण/आख्या निम्नवत है:-

अस्सी नदी/नाला, जो कई राजस्व ग्रामों से होकर गुजरती है जिसकी स्थलीय जाँच आख्या निम्नवत है:-


क्र० सं०	ग्राम का नाम	स्थलीय आख्या
1	कंचनपुर	आराजी सं०-358 से पानी का बहाव है, भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जो राजस्व अभिलेख में सड़क के नाम अंकित है जिससे पानी बह रहा है तथा राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।
2	चितईपुर	आराजी सं०-17/2, नवईयत नाली के अंश भाग पर नाले के ऊपर स्लेब डालकर अतिक्रमण किया गया है, भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जो राजस्व अभिलेख में नाली के नाम अंकित है जिससे पानी बह रहा है। मात्र एक अतिक्रमण है अन्य कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।
		
3	कर्माजीतपुर	आराजी नम्बर 1 से होकर पानी बह रहा है। उक्त 1/1 रकबा 0.3520 हे० अभिलेख में नाला खाते में तथा आराजी सं०-मि.16 रकबा 0.162 हे० बंजर के खाते में अंकित है, जिसपर पानी बह रहा है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है राजस्व अभिलेख में नाली/बंजर के नाम अंकित है। राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।
4	करोदी	आराजी नम्बर 4 व 44 से पानी प्रवाहित हो रहा है जो राजस्व अभिलेख में नाला के नाम अंकित है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश 3 मीटर एवं कहीं-कहीं पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।

रजि. नं. 10/2024
6/02/2024
राजस्व निरीक्षण, वाराणसी
तहसील-सदर
वाराणसी

रजि. नं. 10/2024
6/02/2024
राजस्व निरीक्षण, वाराणसी
तहसील-सदर
वाराणसी

6/02/24
राजस्व निरीक्षण, वाराणसी
तहसील-सदर
वाराणसी


5 सरायनन्दन आराजी नम्बर 495, 505 अभिलेख में नाली के खाते की भूमि है जिसपर पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकांश कहीं 2 मीटर है तो कहीं 3 मीटर है तो कहीं 4 मीटर है। राजस्व भूचित्र के अनुसार आराजी सं०-495 के अंश भाग पर लगभग 3 फीट शौचालय, चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। नाला के तरफ जनरल कक्ष/मशीन कक्ष बनाकर अतिक्रमण किया गया है। सनराईज स्कूल के प्रबन्धक द्वारा नाले के ऊपर पुलिया बनाकर अतिक्रमण किया गया है। रोहित नगर कालोनी में चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिससे पानी बह रहा है मात्र चार अतिक्रमण है अन्य कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।



Pushpendra
06162124
से 050 नै. 24/02/24


शानिषाध 6/02/24

विनायक कुमार
नवारा
06162124



राजस्व निरीक्षक शहर राजस्व निरीक्षक चण्डी
तहसील सदर धाराणरी तहसील सदर धाराणरी
06162124

06162124
24/02/24

6	मदैनी	<p>आराजी नम्बर 2417, 2490 व आ०न०-3283 से होकर बहाव है। आराजी नम्बर 2490 व 3283 वर्तमान अभिलेख नान जेड०ए०के अन्तर्गत जम्मन 15 (1) नाला खाते की भूमि है। आराजी सं०-2490 के अंश भाग पर चहारदियारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है। तथा आराजी नम्बर 2417 रकबा 0.3240हे० भूमि जेड ए में नाला खाते की भूमि है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकाश 3 मीटर एवं कही-कही पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है मात्र एक अतिक्रमण है अन्य पर कही भी अतिक्रमण नहीं है। मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।</p> 
7	नगवा	<p>आ०न०-192, 193, 194 व 195 व 196 तथा आ०न०-236, 244, 245 से होकर पानी गुजरता है। जिसमें आ०न०-193, 195 व 196 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल खातेदारों के नाम अंकित है आराजी नम्बर 192 रकबा 0.061हे० व 194 में रकबा 0.061हे० भूमि नाली के खाते में अंकित है तथा आराजी सं०-192 का शेष रकबा एवं 194 का शेष रकबा खातेदारों के नाम से अंकित है। आराजी सं०-236, 244, 245 से होकर वर्तमान में अस्सी नदी/नाला रविदास पार्क के दक्षिण तरफ से होकर गंगा नदी में मिल जाती है भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकाश 3 मीटर एवं कही-कही पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।</p>
8	मदैनी	<p>आराजी नम्बर 3300, 3303, 3304 3314 से होकर गुजरता है। वर्तमान अभिलेख के अनुसार यह सभी आराजियां विभिन्न खातेदारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। भूचित्र के अनुसार पानी के बहाव की चौड़ाई अधिकाश 3 मीटर एवं कही-कही पर 4 मीटर है जिससे पानी बह रहा है राजस्व भूचित्र के अनुसार अतिक्रमण नहीं है।</p>

Plakhi...
06/02/24

राजस्व निरीक्षक, वाराणसी
तहसील-सदर वाराणसी

राजस्व निरीक्षक शहर
तहसील सदर वाराणसी

6/2/2024

राजस्व निरीक्षक
6.2.24
056-3-24


राजस्व निरीक्षक चौदपुर
तहसील सदर वाराणसी



जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त आदेश दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु सं० 2 में निम्न निर्देश दिये गये:-

- उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी द्वारा चिन्हांकित अवैध अतिक्रमणों को नगर निगम, वाराणसी द्वारा हटाया जायेगा तथा अतिक्रमण हटाने में पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा गठित टीम द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।

जिलाधिकारी महोदय के उपरोक्त आदेश दिनांक 08.02.2024 के बिन्दु सं0 2 में दिये गये निर्देश के क्रम में उपजिलाधिकारी, सदर की टीम द्वारा चिन्हांकित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नगर निगम, वाराणसी द्वारा दिनांक 08.02.2024 को की गयी, जिसकी फोटोमय आख्या निम्नवत है:-



क्र	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
1	 <p>Varanasi, Uttar Pradesh, India 7XMP+49W, Sundarpur, Nagwa, Varanasi, Uttar Pradesh 221005, India Lat 25.282798° Long 82.985568° 05/02/24 02:28 PM GMT +05:30</p> <p>सरायनन्दन आराजी नम्बर 495, 505 राजस्व भूचित्र के अनुसार आराजी सं0-495 के अंश भाग पर लगभग 3 फीट शौचालय, चबूतरा बनाकर अतिक्रमण किया गया था।</p>	  <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।</p>

KEA

Handwritten signature and date: 08/02/2024

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र 2	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
 <p>Varanasi, Uttar Pradesh, India B-34/147-TK-1, Nagwa, Varanasi, Uttar Pradesh 221005, India Lat 25.282886° Long 82.989975° 05/02/24 03:06 PM GMT +05:30</p> <p>सरायनन्दन आराजी सं०-495 के अंश भाग पर सनराईज स्कूल के प्रबन्धक द्वारा नाले के ऊपर पुलिया बनाकर अतिक्रमण किया गया है।</p>	 <p>Varanasi, Uttar Pradesh, India 147M-5J, गौधी नगर, भैरवपुर, बाराणसी, उत्तर प्रदेश 221001, भारत Lat 25.283134° Long 82.989857° 08/02/24 11:21 AM GMT +05:30</p> <p>Varanasi, Uttar Pradesh, India 14R-1, गौधी नगर, भैरवपुर, बाराणसी, उत्तर प्रदेश 221001, भारत Lat 25.282956° Long 82.989901° 08/02/24 11:17 AM GMT +05:30</p> <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।</p>	
 <p>Varanasi, Uttar Pradesh, India N-6/2-B-47, Kailashpuri Colony, Varanasi, Uttar Pradesh 221005, India Lat 25.275584° Long 82.970231° 08/02/24 04:13 PM GMT +05:30</p> <p>चितईपुर, आराजी सं०-17/2, नवईयत नाली के अंश भाग पर नाले के ऊपर स्लैब डालकर अतिक्रमण किया गया था</p>	 <p>Varanasi, Uttar Pradesh, India N-6/2-B-48, Kailashpuri Colony, Varanasi, Uttar Pradesh 221005, India Lat 25.275584° Long 82.970231° 08/02/24 02:19 PM GMT +05:30</p> <p>Varanasi, Uttar Pradesh, India N-6/2-B-47, Kailashpuri Colony, Varanasi, Uttar Pradesh 221005, India Lat 25.275583° Long 82.970297° 08/02/24 02:19 PM GMT +05:30</p> <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही प्रारम्भ कर भवन का अंश भाग तोड़ दिया गया है। भवन अत्यंत पुराना है तथा सुरक्षा के दृष्टिगत भवन को तोड़ने की कार्यवाही स्वयं भवन स्वामी द्वारा वर्तमान में की जा रही है।</p>	

KE

Sumit Kumar
(मिनि-3 यात्रा)

Handwritten signature




A

क्र

फोटो पूर्व

फोटो पश्चात

4



सरायनन्दन में रोहित नगर कालोनी में चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया है।


दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया है।

Handwritten signature

Handwritten signature: Anshu Kumar
(निर्देश 4159)

Handwritten signature

Handwritten signature

क्र.	फोटो पूर्व	फोटो पश्चात
5	 <p>भदौनी आराजी सं०-2490 के अंश भाग पर चहारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया था।</p>	 <p>दिनांक 08.02.2024 को अतिक्रमण चहारदिवारी को तोड़कर हटा दिया गया है।</p>

आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

रंजित कुमार (का.अति.)

Pradyumn Kumar (कर्मचारी)

कर्मल संदीप
प्रभारी प्रवर्तन दल
नगर निगम, वाराणसी

प्रहायक नगर आयुक्त
नगर निगम वाराणसी



सानी घाट (Assi interceptor Sewer pipeline)


 अभिषेक सिंह
 अवर अभियन्ता (मु०)
 जलकल विभाग, नगर निगम
 वाराणसी




नक्शा नीचा लागत आहे




सामने घाट (ASSI interceptor sewer pipe line)


अभिषेक सिंह
अवर अभियन्ता (मु०)
नलकल विभाग, नगर निगम,
वाराणसी




वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत
20A-141, तुलसी मानस मंदिर कॉलोनी, भेनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221001, भारत
Lat 25.284055°
Long 82.995823°
09/02/24 09:02 AM GMT +05:30



वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत
B32/298-R-1A, तुलसी मानस मंदिर कॉलोनी, नरिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221005, भारत
Lat 25.284009°
Long 82.995877°
09/02/24 09:00 AM GMT +05:30



वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत
7297-275, विधर मंडल प्रोचन किराहा, आनंदपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221008, भारत
Lat 25.286072°
Long 83.000670°
09/02/24 09:14 AM GMT +05:30




वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत
20A-141, तुलसी मानस मंदिर कॉलोनी, भेनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221001, भारत
Lat 25.284044°
Long 82.995837°
09/02/24 09:05 AM GMT +05:30


ASSI DRAIN

आशिका सिंह
नगर अभियन्ता (मु०)
सहकार विभाग, नगर निगम
वाराणसी

शिवदास खास



31



शिवदास खास

अभिवेक सिंह
अवर अभियन्ता (मुं)
जलकल विभाग, नगर निगम
वाराणसी

